205 45सीपीएसई के बोर्ड स्तर के कार्यपालकों के संदर्भ में वेतन संशोधन, उसकी संशोधित प्रक्रिया सहित निबंधन और शर्तों को अंतिम रूप दिया जाना।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में सीपीएसई के बोर्ड स्तर के कार्यपालकों के वेतन निर्धारण सहित निबंधन और शर्तों को डीपीई द्वारा संवीक्षा के पश्चात अंतिम रूप दिया गया है। इस संबंध में 1997 के वेतन संशोधन के लिए डीपीई के दिनांक 25.06.1999 के कार्यालय ज्ञापन का पैरा 15 (अनुबंध–**I**) और 2007 के वेतन संशोधन के लिए मानक निबंधन और शर्तों के संबंध में डीपीई के दिनांक 30.12.2009 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2 (अनुबंध–**II**) का संदर्भ ग्रहण करें। वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार संबंधित मंत्रालय/विभाग अपनी एकीकृत वित्तीय विंग (आईएफडब्ल्यू) के अनुमोदन से अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसई के बोर्ड स्तर के कार्यपालकों के लिए निर्धारित किए जाने वाले वेतन सहित अन्य निबंधन और शर्तें प्रस्तावित करता है और डीपीई को प्रस्ताव संदर्भित करता है। डीपीई प्रस्ताव की संवीक्षा करते समय यह सुनिश्चित करता है कि क्या यह सभी सीपीएसई में समान रूप से अपनायी जा रही मौजूदा नीति के अनुसार है। यद्यपि वेतन निर्धारण सहित निबंधन और शर्तों से संबंधित डीपीई के दिशानिर्देशों का सरलीकरण कर दिया गया है और ये दिशानिर्देश डीपीई की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं, फिर भी यह नोटिस किया गया है कि पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में काफी समय लग जाता है। सीपीएसई के बोर्ड स्तर के कार्यपालकों की निबंधन और शर्तों को जारी करने में लगने वाले इस समय को घटाने के प्रयोजन से वर्तमान प्रक्रिया की समीक्षा की गई है और काफी विचार विमर्श के पश्चात इसे संशोधित करने की आवश्यकता महसूस की गई।

2. सीपीएसई में 96% (अनुमानित) कर्मचारी औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) वेतनमान पर कार्यरत हैं और शेष कर्मचारी केंद्रीय महंगाई भत्ता (सीडीए) पैटर्न वाले वेतनमान में कार्यरत हैं। बोर्ड स्तर के लगभग सभी अधिकारी प्रायः आईडीए पैटर्न वाले वेतनमान में नियुक्त होते हैं और उन्हें एक निर्धारित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है।

3. सीपीएसई में सभी नियुक्तियां स्थायी आमेलन आधार पर होती हैं। आपवादिक मामलों में और यदा–कदा ही कर्मचारियों की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति आधार पर की जाती है। केवल ऐसे मामले, जहां कोई व्यक्ति रक्षा सेवा सहित सरकारी सेवा से आकर किसी सीपीएसई में स्थायी आमेलन आधार पर सेवा प्रारंभ करता है, में उसकी परिलब्धियों (मूल वेतन + ग्रेड वेतन + महंगाई भत्ता) की रक्षा करना आवश्यक है। सरकारी सेवा के फलस्वरूप पेंशन, यदि कोई है, का विनियमन डीओपीटी के आदेशों के अनुसार किया जाता है। डीपीई के दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 12 (अनुबंध–**III**) में संदर्भित अनुबंध–IV (iv), जो आईडीए वेतनमान पर कार्यरत कर्मचारियों के 2007 वेतन संशोधन से संबंधित है, के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर आने वाले सभी अधिकारी/कर्मचारी को अपने मूल संवर्ग के वेतन और भत्तों को आहरित करना होगा। ऐसे कर्मचारी 26.11.2008 के पश्चात प्रतिनियुक्ति आधार पर किसी सीपीएसई में ज्वाइन करते हैं, वे

सीपीएसई के वेतनमानों का विकल्प नहीं चुन सकते हैं और उन्हें अपने मूल संवर्ग के वेतन और भत्ते ही आहरित करने होंगे और इस संबंध में डीपीई के दिनांक 26.11.2008 और 08.06.2009 के कार्यालय ज्ञापनों (अनुबंध–**IV**) में निहित प्रावधान लागू होंगे। तथापि सीवीओ और सीपीएसई के सतर्कता विभाग में प्रतिनियुक्ति आधार पर आने वाले अधिकारियों के मामले में छूट दी गई है, जिन्हें डीपीई के दिनांक 03.12.2010 के कार्यालय ज्ञापन (अनुबंध–**V**) के जरिए सीपीएसई का वेतनमान, भत्ते और अन्य लाभ प्राप्त करने का विकल्प दिया गया है।

ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों, जो प्रतिनियुक्ति आधार पर सेवा प्रारंभ करते हैं, के लिए मानक निबंधन और शर्तें अनुबंध–VI पर देखी जा सकती हैं। संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के अधिकारी प्रतिनियुक्ति कार्य भत्ता के लिए पात्र नहीं हैं (अनुबंध–VII)।

4. सीपीएसई अपनी वहनीयता (भुगतान क्षमता) के आधार पर अलग–अलग आईडीए वेतनमानों (अर्थात वर्ष 1987, 1992, 1997 और 2007 में किए गए वेतन संशोधन के अनुसार) का अनुपालन कर रहे हैं। इसके अलावा सीपीएसई को ए, बी, सी और डी अनुसूचियों में वर्गीकृत किया गया है। किसी निम्नतर अनुसूची में रखे गए सीपीएसई को बाद में किसी उच्चतर अनुसूची में अपग्रेड किया जा सकता है, जहां एक ओर बोर्ड स्तर के कार्यपालकों से नीचे वाले प्रत्येक ग्रेड के लिए सभी सीपीएसई के लिए एक समान वेतनमान हैं, वहीं दूसरी ओर बोर्ड स्तर के कार्यपालकों के संदर्भ में वेतनमान सीपीएसई की अनुसूची के अनुसार भिन्न–भिन्न हैं। किसी उच्चतर अनुसूची में शामिल सीपीएसई के बोर्ड स्तर के कार्यपालक उच्चतर वेतनमान ले रहे हैं। वर्ष 1987, 1992, 1997 और 2007 के वेतन संशोधन में बोर्ड स्तर के कार्यपालकों के वेतनमान (अनुबंध–VIII) में देखे जा सकते हैं। बोर्ड स्तर के कार्यपालकों की निबंधन और शर्तें प्रत्येक सीपीएसई की अनुसूची के आधार पर उसके वेतनमानों के अनुकूल हैं। वर्ष 2007 के वेतन संशोधन के संदर्भ में मानक निबंधन और शर्तें डीपीई की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं। जहां एक ओर बोर्ड स्तर के कार्यपालकों का वेतनमान सीपीएसई की अनुसूची पर निर्भर करेगा, वहीं दूसरी ओर वेतन निर्धारण निम्नलिखित परिवर्तनों के आधार पर भिन्न हो सकता है :

(क) <u>बोर्ड स्तर से बोर्ड स्तर पर नियुक्ति</u>

i) उसी सीपीएसई में (परिशिष्ट–उदाहरण 1)

ii) अलग–अलग सीपीएसई में (समान अनुसूची के और समान वेतनमान में) (परिशिष्ट–उदाहरण 1)

iii) अलग–अलग सीपीएसई में (अलग–अलग अनुसूची के परंतु समान वेतनमान में) (परिशिष्ट–उदाहरण 2)

iv) अलग–अलग सीपीएसई में (समान अनुसूची के परंतु अलग–अलग वेतनमानों में) (परिशिष्ट–उदाहरण 3)

v) अलग–अलग सीपीएसई में (अलग–अलग अनुसूची के और अलग–अलग वेतनमानों में) (परिशिष्ट–उदाहरण 4)

(ख) <u>बोर्ड स्तर से नीचे वाले अधिकारियों की बोर्ड स्तर पर नियुक्ति</u>

i) उसी सीपीएसई में (परिशिष्ट–उदाहरण 5)

ii) अलग–अलग सीपीएसई में (समान अनुसूची के और समान वेतनमान में) (परिशिष्ट–उदाहरण 5)

iii) अलग–अलग सीपीएसई में (अलग–अलग अनुसूची के परंतु समान वेतनमान में) (परिशिष्ट–उदाहरण 6)

iv) अलग–अलग सीपीएसई में (समान अनुसूची के परंतु अलग–अलग वेतनमानों में) (परिशिष्ट–उदाहरण 7)

v) अलग–अलग सीपीएसई में (अलग–अलग अनुसूची के और अलग–अलग वेतनमानों में) (परिशिष्ट–उदाहरण 8)

(ग) <u>किसी सीपीएसई के बोर्ड स्तर पर स्थायी आमेलन आधार पर सरकारी सेवा से आने वाले कर्मचारी और असमान वेतनमानों के अन्य मामले</u>

असमान मामले सामान्यतया ऐसे होते हैं, जहां कोई कार्यपालक किसी उच्चतर वेतनमान से किसी निम्नतर वेतनमान में चला जाता है। स्थायी आमेलन आधार पर बोर्ड स्तर के पदों पर सीपीएसई में सेवा प्रारंभ करने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामले और निम्नतर (संशोधन पूर्व) वेतनमानों के साथ किसी सीपीएसई में तैनाती पर वेतन निर्धारण के मामले ऐसे मामलों के उदाहरण हैं, जो इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। डीपीई के दिनांक 05.03.2010 के कार्यालय ज्ञापन (अनुबंध–**IX**) के अंतर्गत ऐसे मामलों में परिलब्धियों की रक्षा का उल्लेख किया गया है (परिशिष्ट– उदाहरण 9)।

5. सीपीएसई के बोर्ड स्तर के कार्यपालकों का वेतन निर्धारण करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करना आवश्यक होगा :–

i) अधिकारी द्वारा आहरित अंतिम वेतन डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार आहरित किया होना चाहिए। यदि कार्यपालक को चाहे 1997 के वेतन संशोधन में अथवा 2007 के वेतन संशोधन में कोई स्टैगनेशन वेतन वृद्धि दी गई थी, तो उसकी स्वीकृति केवल तभी दी जानी चाहिए, जब अधिकारी विहित वेतनमान की अधिकतम सीमा तक पहुंच जाता है और इस प्रकार की वेतन वृद्धि दो वर्ष में एक बार और किसी ग्रेड में केवल तीन स्टैगनेशन वेतन वृद्धि ही दी जानी चाहिए। यह

स्पष्ट किया जाए कि 1987 और 1992 के वेतन संशोधनों में ऐसी स्टैगनेशन वेतन वृद्धि की कोई संकल्पना नहीं की गई थी।

ii) किसी भी वेतनमान में स्वीकृत किसी वैयक्तिक वेतन, विशेष वेतन, अतिरिक्त वेतन वृद्धि, वेतन वृद्धियों अथवा किसी अन्य प्रकार की वृद्धि पर वेतन निर्धारण के लिए विचार नहीं किया जाता है, क्योंकि वे डीपीई के कार्यालय ज्ञापन की उल्लंघन के रूप में माने जाते हैं। इसी प्रकार 2007 के वेतन संशोधन के पश्चात भी ऐसा कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है। वेतन के रूप में ऐसी कोई भी राशि नहीं दी जा सकती है, जो अनुमोदित वेतनमानों के प्रतिकूल हो। तथापि उपर्युक्त पैरा 4 (ग) में विनिर्दिष्ट किए अनुसार परिलब्धियों की रक्षा के लिए डीपीई के दिनांक 05. 03.2010 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए अनुमति दी गई है। लाभ प्रदान करने की सहूलियत डीपीई के दिनांक 26.11.2008, 09.02.2009 और 02.04.2009 में यथा विहित मानदंडों के भीतर विभिन्न प्रकार की अनुलब्धियों और भत्तों, अधिवर्षिता की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति लाभ, पीआरपी तक सीमित की गई है।

iii) वेतनवृद्धि, यदि 01.01.2007 को देय है, तो यह पहले संशोधन पूर्व वेतनमान (1997 के वेतन संशोधन) में स्वीकृत की जानी चाहिए और फिर इसके बाद ही फिटमेंट का लाभ दिया जाना चाहिए तथा 01.01.2007 की स्थिति के अनुसार संशोधित वेतनमान में वेतन का निर्धारण किया जाना चाहिए (परिशिष्ट–उदाहरण 10)।

iv) स्टैगनेशन वेतन वृद्धि केवल तभी दी जाएगी, जब अधिकारी वेतनमान की अधिकतम सीमा तक पहुंच जाता है। चूंकि 2007 के वेतनमानों में वेतन वृद्धि के कोई निर्धारित चरण नहीं हैं, अतः वेतनमान की अधिकतम सीमा तक पहुंचने से पहले किसी वेतनमान में देय अंतिम वेतन वृद्धि 3% से कम हो सकती है। स्टैगनेशन वेतन वृद्धि दो वर्ष में एक बार दी जाएगी और किसी ग्रेड में ऐसी स्टैगनेशन वेतन वृद्धि अधिकतम तीन बार ही दी जा सकती है (परिशिष्ट–उदाहरण 11)।

v) असमान वेतनमानों में नियुक्ति पर, उदाहरण के लिए 2007 से 1997 के वेतनमान में । ऐसी स्थिति में वेतन निर्धारण पर कोई काल्पनिक वेतनवृद्धि नहीं दी जाएगी, बल्कि केवल परिलब्धियों की रक्षा का ही लाभ दिया जाएगा (परिशिष्ट – उदाहरण 3, 4, 7, 8 और 9 का संदर्भ ग्रहण करें)।

vi) 2007 वेतनमानों में वेतन निर्धारण के लिए विहित फार्मूला के अनुसार वेतन निर्धारण निम्नतर वेतनमान में आहरित किए जा रहे वेतन की वेतन वृद्धि के समतुल्य एक काल्पनिक वेतनवृद्धि जोड़कर और निकटतम 10 रु. के रूप में राशि को राउंड ऑफ कर उच्चतर वेतनमान में किया जाएगा। इस प्रकार परिकलित राशि यदि उच्चतर वेतनमान की न्यूनतम सीमा से कम है, तो वेतन निर्धारण उच्चतर वेतन की न्यूनतम सीमा पर किया

जाएगा और यदि इस प्रकार परिकलित राशि उच्चतर वेतनमान की अधिकतम सीमा से अधिक है, तो वेतन निर्धारण उच्चतर वेतन की अधिकतम सीमा पर किया जाएगा (परिशिष्ट–उदाहरण 12)।

vii) पदोन्नत्ति पर निर्धारित किया गया वेतन उस पद के वेतनमान की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए, जिस पर कर्मचारी पदोन्नत हुआ है।

viii) 1997 के वेतनमानों, जिनमें निर्धारित वेतनवृद्धि और परिभाषित चरणों का प्रावधान किया गया था, से विपरीत 2007 के वेतनमानों में वेतनवृद्धि के कोई पूर्व निर्धारित चरण नहीं हैं (परिशिष्ट–उदाहरण 13)।

ix) वेतनवृद्धि की बंचिंग का लाभ डीपीई के दिनांक 24.09.2010 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 3 (**i**) के साथ पठित डीपीई के दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2 (**iii**) में किए गए प्रावधानों के अनुसार दिया जाएगा (परिशिष्ट–उदाहरण 14), जबकि वेतन की स्टेपिंग अप का लाभ ऐसे मामलों में दिया जाएगा, जो डीपीई के दिनांक 17.11. 2012 के कार्यालय ज्ञापन के अंतर्गत आते हैं (परिशिष्ट–उदाहरण 15)।

x) ऐसे कार्यपालकों, जिनके लिए कॉस्ट–टू–कंपनी (सीटीसी) लागू है, के लिए यथालागू सभी अनुलब्धियां और भत्ते पृथक पृथक कार्यपालकों के मूल वेतन की 50% की सीमा के भीतर होंगे। केवल 4 विनिर्दिष्ट भत्तों (दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 10 का संदर्भ ग्रहण करें) को इस सीमा के बाहर रखा गया है। अन्य सभी अनुलब्धियों और भत्तों को 50% की सीमा के अंदर रखा जाए (इस संबंध में डीपीई के दिनांक 02.04.2009, 01.06.2011 और 29.06.2012) के साथ–साथ अनुबंध **X**, **XI** और **XII** का भी संदर्भ लिया जा सकता है।

6. सीपीएसई में कुछ बोर्ड स्तर के कार्यपालक पुनर्नियोजित सरकारी पेंशनभोगी हैं। उन्हें केवल उस पद के विहित वेतनमान में ही वेतन आहरित करने की अनुमति होगी, जिसमें वे पुनर्नियोजित किए गए हैं। पुनर्नियोजन से पहले उनके द्वारा धारित पद के वेतन संरक्षण का उन्हें कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। सीपीएसई में बोर्ड स्तर के पदो ंपर पुनर्नियोजन के ऐसे सभी मामलों में आरंभिक वेतन का निर्धारण वेतनमानों के न्यूनतम पर उसी प्रकार किया जाएगा, जैसे कि संबंधित सीपीएसई में उस पद के लिए लागू है। सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए यथालागू पेंशन को दिए जाने वाले वेतन से घटा दिया जाएगा। सीपीएसई में बोर्ड स्तर पर पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों के वेतन निर्धारण के लिए डीपीई द्वारा समय–समय पर जारी किए जाने वाले कार्यालय ज्ञापनों के प्रावधान लागू होंगे। सीपीएसई में बोर्ड स्तर के कार्यपालकों, जो सरकारी पेंशनभोगी हैं और उन्हें पुनर्नियोजित किया गया है, के वेतन निर्धारण के मामले में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है और वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप कोई अव्यवहार्य वित्तीय स्थिति उत्पन्न होती

है, तो संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा ऐसे मामले को सलाह के लिए डीपीई को संदर्भित किया जाए।

7. यदि किसी निजी संगठन के किसी व्यक्ति को किसी सीपीएसई में नियुक्त किया जाता है, तो उसका वेतन निर्धारण पूर्व में आहरित वेतन की रक्षा किए बिना विहित वेतनमान की न्यूनतम सीमा पर किया जाएगा।

8. तत्काल संदर्भ के लिए डीपीई के निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापन भी संलग्न हैं, जो स्वमेव स्पष्ट हैं:–

क्र. सं.	जारी करने की तारीख	विषय	अनुबंध
i.	14.03.2002	बोर्ड स्तर के कार्यपालकों का वेतन निर्धारण	**XIII**
ii	24.09.2010	बोर्ड स्तर पर वेतनवृद्धियों की बंचिंग– सेवा के दौरान और अधिवर्षिता की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति के समय छुट्टी नगदीकरण	**XIV**
iii.	03.06.2011	बोर्ड स्तर के अधिकारियों का वेतन निर्धारण – काल्पनिक/स्टैगनेशन वेतनवृद्धि की दर का %	**XV**
iv.	27.11.2012	विशेष परिस्थितियों में किसी सीपीएसई में सीएमडी/एमडी के वेतन को स्टेप अप करना	**XVI**

9. सीपीएसई के बोर्ड स्तर के कार्यपालकों के संदर्भ में यथा लागू वेतन निर्धारण के सिद्धांत सीपीएसई के बोर्ड स्तर से नीचे वाले कार्यपालकों और गैर यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकों के संदर्भ में भी आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे। तथापि सीपीएसई के बोर्ड स्तर के ऐसे कार्यपालकों, जो संविदा आधार पर नियुक्त किए जाते हैं और निर्धारित कार्यकाल के लिए उनकी नियुक्ति की जाती है, के संदर्भ में अगले वेतनवृद्धि की तारीख डीपीई की इस संबंध में आदर्श निबंधन और शर्तों में पहले से किए जाने वाले प्रावधान के अनुसार उनकी नियुक्ति के अगले वर्ष की उसी तारीख के रूप में होगी। सीपीएसई के बोर्ड स्तर से नीचे वाले कार्यपालकों के संदर्भ में वार्षिक वेतन की तारीख संगत सीपीएसई के नियमों और विनियमों के अनुसार होगी।

10. डीपीई के दिनांक 15.05.2008 और 08.08.2012 (अनुबंध **XVII** और **XVIII**) के जरिए यथावश्यक सीपीएसई अपने कर्मचारियों से सेवानिवृत्ति के पश्चात किसी निजी वाणिज्यिक उपक्रम में सेवा प्रारंभ करने के संबंध में उसपर अधिरोपित प्रतिबंधों के किसी भी उल्लंघन के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में उसके द्वारा देय उपयुक्त धनराशि की वसूली के लिए एक बांड प्राप्त करेगा। इस बांड की आवश्यकता को शामिल करने के लिए मानक निबंधन और शर्तों को संशोधित माना जाएगा।

11. डीपीई सीपीएसई में सीवीओ की निबंधन और शर्तों की संवीक्षा नहीं करता है और न ही उन्हें अंतिम रूप देता है। यह परंपरा आगे भी जारी रहेगी।

12. यह देखा जाता है कि संबंधित मंत्रालयों/विभागों की एकीकृत वित्त विंग (आईएफडब्ल्यू) संवीक्षा के लिए डीपीई को प्रस्ताव भेजने से पहले बोर्ड स्तर के कार्यपालकों के वेतन निर्धारण संबंधी मामलों सहित निबंधन और शर्तों की अनिवार्य रूप से जांच करती है और उन्हें अनुमोदित करती है। उपर्युक्त पैरा 1 में किए गए उल्लेख के अनुसार वर्तमान प्रक्रिया की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है, जिससे कि सीपीएसई के बोर्ड स्तर के कार्यपालकों के वेतन निर्धारण संबंधी मामलों सहित निबंधन और शर्तों को अंतिम रूप देने में लगने वाले समय को कम किया जा सके। अतः अब से यह निश्चय किया गया है कि वेतन निर्धारण के लिए प्रस्तावों को भेजने और सीपीएसई के बोर्ड स्तर के कार्यपालकों की नियुक्ति संबंधी निबंधन और शर्तों की डीपीई द्वारा संवीक्षा की परंपरा को बंद कर दिया जाएगा। सभी सीपीएसई के बोर्ड स्तर के कार्यपालकों के वेतन निर्धारण सहित निबंधन और शर्तें तैयार करने के लिए सभी प्रस्तावों को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपने आईएफडब्ल्यू की सहमति से अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप डीपीई के दिनांक 30.12.2009 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए परिचालित सीपीएसई के बोर्ड स्तर के कार्यपालकों के संदर्भ में 2007 वेतनमानों के लिए मानक निबंधन और शर्तों के पैरा 3 (अनुबंध–II) और प्रतिनियुक्ति आधार पर सेवा प्रारंभ करने वाले अधिकारियों के लिए मानक निबंधन और शर्तों से संबंधित अनुबंध–VI के पैरा 2 और वर्ष 1987, 1992 और 1997 के वेतन संशोधन संबंधी ऐसे ही खंडों को तदनुसार संशोधित माना जाएगा।

13. उपर्युक्त प्रावधानों के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई आती है अथवा स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी के अनुमोदन और आईएफडब्ल्यू की सहमति से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के जरिए सभी संगत दस्तावेजों के साथ मामला डीपीई को संदर्भित किया जाए।

14. उपर्युक्त पैरा 12 में किए गए प्रावधान के अनुसार संगत प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा बोर्ड स्तर के कार्यपालकों के संदर्भ में वेतन निर्धारण सहित निबंधन और शर्तों को अंतिम रूप देने की इस व्यवस्था की डीपीई द्वारा एक वर्ष बाद समीक्षा की जाएगी।

यह मंत्री (भारी उद्योग एवं लोक उद्यम) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

परिशिष्ट

उदाहरण

1. उसी सीपीएसई अथवा किसी अन्य सीपीएसई में बोर्ड स्तर के किसी एक पद से बोर्ड स्तर के किसी अन्य पद पर नियुक्ति (जैसे कि निदेशक के पद से सीएमडी के पद पर नियुक्ति), परंतु सीपीएसई उसी अनुसूची के अंतर्गत आते हों और समान वेतन संशोधन के फलस्वरूप समान वेतनमान लागू हों **[**पैरा 4 (क) (**iii**) देखें **]**

नियुक्ति से पहले निम्नतर पद	निदेशक, अनुसूची 'ए'
निम्नतर वेतनमान	75000 रु. – 100000 रु.
एलपीसी के अनुसार निम्नतर वेतनमान में मूल वेतन	90000 रु.
नियुक्ति के पश्चात उच्चतर पद	सीएमडी, अनुसूची 'ए'
नियुक्ति के पश्चात उच्चतर वेतनमान	80000 रु. – 125000 रु.
सीएमडी के रूप में चयन पर उच्चतर वेतनमान में वेतन निर्धारण	
वेतन और एक काल्पनिक वेतनवृद्धि @3%	2700 रु.
पदोन्नत्ति पर उच्चतर वेतनमान में निर्धारित किया जाने वाला वेतन (वेतन + एक काल्पनिक वेतनवृद्धि)	92700 रु. (90000 + 2700)

2. अलग अनुसूची में शामिल, परंतु समान वेतन संशोधन के समान वेतनमान अपनाने वाले किसी अलग सीपीएसई में बोर्ड स्तर के पद से बोर्ड स्तर के किसी अन्य पद पर नियुक्ति **[**पैरा 4 (क) (**i**) और (**ii**) देखें **]**

नियुक्ति से पहले निम्नतर पद	निदेशक, अनुसूची 'ए'*****
निम्नतर वेतनमान	75000 रु. – 100000 रु.
निम्नतर वेतनमान में वेतन	80000 रु.
नियुक्ति के पश्चात उच्चतर पद	सीएमडी, अनुसूची 'बी' सीपीएसई*****
अनुसूची 'बी' सीपीएसई में वेतनमान	75000 रु. – 90000 रु.
अनुसूची 'बी' सीपीएसई में सीएमडी के रूप में वेतन	80000 रु.
(**i**) मूल वेतन में कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि अनुसूची 'बी' सीपीएसई के सीएमडी का वेतनमान अनुसूची 'ए' के निदेशक के वेतनमान की तुलना में कम है।	
(**ii**) स्टैगनेशन वेतनवृद्धि शामिल है अथवा नहीं, को शामिल करते हुए यदि मूल वेतन वेतनमान की अधिकतम सीमा से अधिक हो जाता है, तो अपशिष्ट राशि वैयक्तिक वेतन के रूप में देय होगी।	
(**iii**) इस वैयक्तिक वेतन (पीपी) को उच्चतर वेतनमान में वेतन निर्धारण/वेतन संशोधन के दौरान आमेलित कर लिया जाएगा। वैयक्तिक वेतन की गणना महंगाई भत्ते सहित किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं की जाएगी।	
***** यह विलोमतः अर्थात अनुसूची 'बी' सीपीएसई में सीएमडी से अनुसूची 'ए' सीपीएसई में निदेशक के पर पर नियुक्ति के मामले में भी किया जा सकता है।	

3. अलग–अलग वेतन संशोधनों में अलग–अलग वेतनमान अपनाने वाले परंतु समान अनुसूची में शामिल अलग–अलग सीपीएसई में बोर्ड स्तर के पद से बोर्ड स्तर के अन्य पद पर नियुक्ति **[**पैरा 4 (क) (**iv**) और (ग) देखें **]**

नियुक्ति से पहले निम्नतर पद	2007 वेतनमान में निदेशक, अनुसूची 'ए'
निम्नतर वेतनमान	75000 रु. – 100000 रु.
निम्नतर पद में वेतन	80000 रु.
नियुक्ति के पश्चात उच्चतर पद	1997 वेतनमान में सीएमडी, अनुसूची 'ए' सीपीएसई
1997 वेतनमान में सीएमडी का वेतनमान	27750–750–31500 रु.
और डीए (%)	80000 + महंगाई भत्ता = X
वेतनमान की अधिकतम सीमा, जिसमें पदोन्नत किया गया	31500 रु.
सुरक्षित की जाने वाली परिलब्धियां	31500 + महंगाई भत्ता + पीपी*= X
इस वैयक्तिक वेतन (पीपी) को उच्चतर वेतनमान में वेतन निर्धारण/वेतन संशोधन के दौरान आमेलित कर लिया जाएगा। वैयक्तिक वेतन की गणना महंगाई भत्ते सहित किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं की जाएगी।	

4. अलग–अलग वेतन संशोधन के अलग–अलग वेतनमान अपनाने वाले और भिन्न अनुसूची में शामिल अलग–अलग सीपीएसई में बोर्ड स्तर के पद से बोर्ड स्तर के अन्य पद पर नियुक्ति **[**पैरा 4 (क) (**v**) और (ग) देखें **]**

नियुक्ति से पहले निम्नतर पद	2007 वेतनमान में निदेशक, अनुसूची 'बी'
निम्नतर वेतनमान	65000 रु. – 75000 रु.
निम्नतर पद में वेतन	70000 रु.
नियुक्ति के पश्चात उच्चतर पद	1997 वेतनमान में सीएमडी, अनुसूची 'ए' सीपीएसई
1997 वेतनमान में सीएमडी का वेतनमान	27750–750–31500 रु.
और डीए (%)	70000 + महंगाई भत्ता = X
वेतनमान की अधिकतम सीमा, जिसमें पदोन्नत किया गया	31500 रु.
सुरक्षित की जाने वाली परिलब्धियां	31500 + महंगाई भत्ता + पीपी*= X
इस वैयक्तिक वेतन (पीपी) को उच्चतर वेतनमान में वेतन निर्धारण/वेतन संशोधन के दौरान	

आमेलित कर लिया जाएगा। वैयक्तिक वेतन की गणना महंगाई भत्ते सहित किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं की जाएगी।

5. उसी सीपीएसई अथवा अलग–अलग, परंतु उसी अनुसूची में शामिल और समान वेतन संशोधन के समान वेतनमानों का अनुपालन करने वाले अलग–अलग सीपीएसई में बोर्ड स्तर से नीचे वाले पद से बोर्ड स्तर के पद पर नियुक्ति **[**पैरा 4 (ख) (**i**) और (**ii**) देखें **]**

नियुक्ति से पहले निम्नतर पद	कार्यपालक निदेशक (ई–9), अनुसूची 'ए'
निम्नतर वेतनमान	62000 रु. – 80000 रु.
निम्नतर वेतनमान में वेतन	78000 रु.
नियुक्ति के पश्चात उच्चतर पद	सीएमडी, अनुसूची 'ए' सीपीएसई
नियुक्ति के पश्चात उच्चतर वेतनमान	80000–125000
सीएमडी के रूप में चयन पर उच्चतर वेतनमान में वेतन निर्धारण	
निम्नतर वेतनमान में मूल वेतन	78000 रु.
और एक काल्पनिक वेतनवृद्धि @3%	2340 रु.
पदोन्नति पर उच्चतर वेतनमान में वेतन (वेतन + एक काल्पनिक वेतनवृद्धि)	31500 + महंगाई भत्ता + पीपी*= X

6. अलग–अलग अनुसूचियों में शामिल परंतु समान वेतन संशोधन के समान वेतनमानों का अनुपालन करने वाले अलग–अलग सीपीएसई में बोर्ड स्तर से नीचे वाले पद से बोर्ड स्तर के पद पर नियुक्ति **[**पैरा 4 (ख) (**iii**) देखें **]**

नियुक्ति से पहले निम्नतर पद	महाप्रबंधक (ई–8), अनुसूची 'ए'
निम्नतर वेतनमान	51300 रु. – 73000 रु.
निम्नतर वेतनमान में वेतन	69000 रु.
नियुक्ति के पश्चात उच्चतर पद	सीएमडी, अनुसूची 'सी' सीपीएसई
अनुसूची 'सी' सीपीएसई में वेतनमान	65000–75000
और एक काल्पनिक वेतनवृद्धि @3%	2070 रु.
अनुसूची 'सी' सीपीएसई में सीएमडी के रूप में वेतन (वेतन + एक काल्पनिक वेतनवृद्धि)	71070 (69000+ 2070)

7. अलग–अलग वेतन संशोधनों के अलग–अलग वेतनमानों परंतु उसी अनुसूची में शामिल अलग–अलग सीपीएसई में बोर्ड स्तर से नीचे वाले पद से बोर्ड स्तर के पद पर नियुक्ति **[**पैरा 4 (ख) (**iv**) और (ग) देखें **]**

नियुक्ति से पहले निम्नतर पद	महाप्रबंधक (ई–8), अनुसूची 'बी' (2007)
नियुक्ति के पश्चात निम्नतर वेतनमान	51300 रु. – 73000 रु.
निम्नतर वेतनमान में वेतन	58000 रु.
नियुक्ति के पश्चात उच्चतर पद	निदेशक, अनुसूची 'बी' सीपीएसई (1997)
नियुक्ति के पश्चात उच्चतर वेतनमान	22500–600–27300
निदेशक के रूप में चयन पर उच्चतर वेतनमान में वेतन	
निम्नतर वेतनमान में मूल वेतन	58000 रु.
ऐसी स्थिति में कोई काल्पनिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी क्योंकि यह असमान मामला है, ऐसी स्थिति में केवल परिलब्धियों की रक्षा की जाएगी।	
वेतन + महंगाई भत्ता	58000 + महंगाई भत्ता = X
वेतनमान की अधिकतम सीमा, जिसमें पदोन्नत किया गया है	27300
परिलब्धियां, जिनकी रक्षा की जानी है	27300 + महंगाई भत्ता + पीपी* = X
इस वैयक्तिक वेतन (पीपी) को उच्चतर वेतनमान में वेतन निर्धारण/वेतन संशोधन के दौरान आमेलित कर लिया जाएगा। वैयक्तिक वेतन की गणना महंगाई भत्ते सहित किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं की जाएगी।	

8. अलग–अलग वेतन संशोधनों के अलग–अलग वेतनमानों और अलग–अलग अनुसूचियों में शामिल अलग–अलग सीपीएसई में बोर्ड स्तर से नीचे वाले पद से बोर्ड स्तर के पद पर नियुक्ति **[**पैरा 4 (ख) (**v**) और (ग) देखें **]**

नियुक्ति से पहले निम्नतर पद	महाप्रबंधक (ई–8), अनुसूची 'बी' (2007)
निम्नतर वेतनमान	51300 रु. – 73000 रु.
निम्नतर वेतनमान में मूल वेतन	60000 रु.
नियुक्ति के पश्चात उच्चतर पद	निदेशक, अनुसूची 'ए' सीपीएसई (1997)
नियुक्ति के पश्चात उच्चतर वेतनमान	25750–650–30950 रु.
निदेशक के रूप में चयन पर उच्चतर वेतनमान में वेतन	
ऐसी स्थिति में कोई काल्पनिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी क्योंकि यह असमान मामला है, ऐसी स्थिति में केवल परिलब्धियों की रक्षा की जाएगी।	
वेतन + महंगाई भत्ता	60000 + महंगाई भत्ता = X
वेतनमान की अधिकतम सीमा, जिसमें पदोन्नत किया गया है	30950

परिलब्धियां, जिनकी रक्षा की जानी है	30950 + महंगाई भत्ता + पीपी* = X
इस वैयक्तिक वेतन (पीपी) को उच्चतर वेतनमान में वेतन निर्धारण/वेतन संशोधन के दौरान आमेलित कर लिया जाएगा। वैयक्तिक वेतन की गणना महंगाई भत्ते सहित किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं की जाएगी।	

9. सरकार से आने वाले कर्मचारी, उदाहरण के लिए यदि कोई संयुक्त सचिव को स्थायी आमेलन आधार पर किसी अनुसूची 'बी' सीपीएसई में सीएमडी के रूप में नियुक्त किया जाता है। **[**पैरा 4 (ग) देखें **]**

संयुक्त सचिव, भारत सरकार	37400–67000 रु.
मूल वेतन	67000 रु.
ग्रेड वेतन	10000 रु.
अनुसूची 'बी' सीपीएसई में सीएमडी (2007 वेतनमान)	75000 – 90000 रु.
वेतन निर्धारण	67000 + ग्रेड वेतन + महंगाई भत्ता = X सीएमडी के वेतनमान में मूल वेतन + महंगाई भत्ता = X तथापि मूल वेतन सीपीएसई के वेतनमान में अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगा और कोई भी अपशिष्ट राशि का भुगतान वैयक्तिक वेतन (पीपी) के रूप में किया जाएगा, जिसे उच्चतर वेतनमान/वेतन संशोधन के समय वेतन निर्धारण में आमेलित कर लिया जाएगा। इस वैयक्तिक वेतन को उच्चतर वेतनमान/वेतन संशोधन के समय वेतन निर्धारण में आमेलित कर लिया जाएगा। वैयक्तिक वेतन की गणना महंगाई भत्ता सहित किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं की जाएगी।

10. यदि वेतनवृद्धि की तारीख 01.01.2007 है, तो 2007 वेतन संशोधन लागू करने पर वेतन निर्धारण **[**पैरा 5 (**iii**) देखें **]**

31.12.2006 की स्थिति के अनुसार मूल वेतन	16800 रु.

वेतनमान	16000–400–20800 रु.
वेतनवृद्धि की तारीख	01.01.2007
वेतन संशोधन लागू होने की तारीख	01.01.2007
दिए जाने वाले संशोधन पूर्व वेतनमान में 01.01.2007 को देय वेतनवृद्धि	400 रु.
वेतन निर्धारण का फार्मूला या सूत्र = संशोधन पूर्व वेतनमान में मूल वेतन + एक वेतनवृद्धि + महंगाई भत्ता (78.2%) + फिटमेंट (30%)	
वेतन निर्धारण = 16800 + 400 + महंगाई भत्ता (78.2%) + फिटमेंट (30%) = 39850 रु.	

11. वेतनवृद्धि मूल वेतन के 3**%** की तुलना में कम राशि हो सकती है, और स्टैगनेशन वेतनवृद्धि वेतनमान की अधिकतम सीमा पहुंच जाने पर 2 वर्ष में एक बार दी जाएगी और अधिकतम तीन स्टैगनेशन वृद्धि देय होंगी **[**पैरा 5 (**iv**) देखें **]**

31.12.2008 की स्थिति के अनुसार मूल वेतन	57500 रु.
वेतनमान	32900–58000 रु.
अगले वेतनवृद्धि की तारीख	01 जनवरी 2009
अगली वेतनवृद्धि	57500 रु. का 3% अथवा (58000–57500 रु.) जो भी कम हैं = 500 रु.
वेतनवृद्धि किए जाने के बाद वेतन	58000 रु. (वेतनमान की अधिकतम सीमा)
अगली वेतनवृद्धि	58000 रु. का 3%
अगली वेतनवृद्धि की तारीख	01.01.2011 (स्टैगनेशन वेतनवृद्धि के रूप में)

12. यदि काल्पनिक वेतनवृद्धि दिए जाने के पश्चात वेतन निर्धारण की राशि वेतनमान की अधिकतम सीमा से अधिक हो जाती है **[**पैरा 5 (**vi**) देखें **]**

नियुक्ति से पहले निम्नतर पद	ई–8
निम्नतर वेतनमान	51300 – 73300 रु.
नियुक्ति के पश्चात उच्चतर पद	अनुसूची 'बी' सीपीएसई में निदेशक
नियुक्ति के पश्चात उच्चतर वेतनमान	65000–75000 रु.
निम्नतर पद में वेतन	75190 रु. (एक स्टैगनेशन वेतनवृद्धि दिए जाने के बाद)
और एक काल्पनिक वेतनवृद्धि @3%	75190 रु. + 3% = 77450 (राउंड ऑफ)
निर्धारित किया जाने वाला वेतन	75000 रु. अर्थात वेतनमान की अधिकतम सीमा

13. 12600–32500 (ई–0 ग्रेड–2007 वेतनमान) के वेतनमान में 12980, 13370 आदि जैसे कोई भी चरण नहीं है। अतः 2007 वेतनमानों में वेतन निर्धारण के समय डीपीई के 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2 (**i**) के अनुसार परिकलित की गई एकीकृत राशि को अगले 10 रु. के रूप में राउंड ऑफ किया जाएगा और संगत संशोधित वेतनमान में वेतन निर्धारण किया जाएगा **[**पैरा 5 (**viii**) देखें **]**।

14. संशोधित 1997 वेतनमान से 2007 वेतनमान में वेतन निर्धारण पर 2007 के संशोधित वेतनमान में वेतनवृद्धियों की बंचिंग का लाभ। वेतनवृद्धि की बंचिंग का लाभ डीपीई के दिनांक 24.09.2010 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 3 (i) के साथ पठित डीपीई के दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2(**iii**) में किए गए प्रावधानों के अनुसार केवल तब दिया जाएगा जब किसी एक ही सीपीएसई में समान ग्रेड में कार्यरत दो कार्यपालक 01.01.2007 की स्थिति के अनुसार 1997 के वेतनमानों में अलग–अलग चरण पर रहे हों और 2007 वेतनमानों में वेतन निर्धारण पर उनका वेतन समान चरण (वेतनमान की न्यूनतम सीमा) पर निर्धारित किया जाएगा। ऐसे मामले में 1997 के वेतनमान में प्रत्येक दो चरण के अंतर के लिए वरिष्ठ कार्यपालक को एक बंचिंग वेतनवृद्धि दी जाएगी। **[**पैरा 5 (**ix**) और अनुबंध **xiv** देखें **]**।

1997 वेतनमान में अनुसूची 'ए' सीपीएसई में निदेशक का वेतनमान	25750–650–30950 रु.
2007 वेतनमान में अनुसूची 'ए' सीपीएसई में निदेशक का वेतनमान	75000 रु. – 100000 रु.
सीपीएसई अर्थात Z में 01.01.2007 की स्थिति के अनुसार 1997 वेतनमान में निदेशक 'X' का मूल वेतन	30300 रु.
उसी सीपीएसई अर्थात Z में 01.01.2007 की स्थिति के अनुसार 1997 वेतनमान में निदेशक 'Y' का मूल वेतन	26400 रु.
01.01.2007 की स्थिति के अनुसार वेतन संशोधन के बाद 2007 वेतनमान में निदेशक 'X' का मूल वेतन	75000 रु.
01.01.2007 की स्थिति के अनुसार वेतन संशोधन के बाद 2007 वेतनमान में निदेशक 'Y' का मूल वेतन	75000 रु.
निदेशक 'X' जो निदेशक 'Y' से वरिष्ठ है, को वेतनवृद्धि की बंचिंग का लाभ	
1997 वेतनमान में कनिष्ठ निदेशक की तुलना में आहरित अधिक वेतनवृद्धियों की संख्या	6 : (30300–26400÷650)

निदेशक 'X' को 2007 वेतनमान में दी जाने वाली बंचिंग वेतनवृद्धियों की संख्या	3 @ 75000 रु. संशोधित वेतनमान की न्यूनतम सीमा (@ 75000 X 3 % = 2250 x 3)
निदेशक 'X' को बंचिंग का लाभ प्रदान किए जाने के बाद 2007 वेतनमानों में निर्धारित किया जाने वाला निदेशक 'X' का वेतन = 81750/- (75000 + 6750)	

15. किसी सीपीएसई के सीएमडी/एमडी का 1997 के वेतनमान से 2007 के वेतनमान में आने के मामले में वेतनवृद्धियों की बंचिंग का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा, बल्कि विनिर्दिष्ट मामलों में केवल स्टेपिंग अप की जाएगी : किसी भी सीपीएसई में सीएमडी/एमडी स्टैंड अलोन पोस्ट होती है, अतः उस सीपीएसई में वेतनवृद्धियों की बंचिंग के लाभ के प्रयोजन से इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। तथापि किसी सीपीएसई में सीएमडी/एमडी के वेतन को स्टेप अप करने के कुछ मामले यदा–कदा ही सुने जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि 'Z' सीपीएसई के निदेशक 'X' जो 'Z' सीपीएसई के सीएमडी/एमडी से कनिष्ठ था, और निदेशक 'X 1997 वेतनमान में तुलनात्मक रूप से कम मूल वेतन आहरित कर रहा था (01.01.2007 की स्थिति के अनुसार), वह 01.01.2007 की स्थिति के अनुसार 2007 के संशोधित वेतनमान लागू होने पर अपने सीएमडी/एमडी की तुलना में अधिक मूल वेतन आहरित करने लगता है (बंचिंग का लाभ दिए जाने के कारण), तो ऐसी स्थिति में 'Z' सीपीएसई के सीएमडी/एमडी का वेतन 01.01.2007 की स्थिति के अनुसार निदेशक 'X' के स्तर तक निम्नानुसार स्टेप अप किया जाए **[**पैरा 5 (**ix**) और अनुबंध **xvi** देखें **]**।

अनुसूची 'ए' सीपीएसई में 1997 वेतनमान में 'Z' सीपीएसई में निदेशक 'X' का वेतनमान	25750–650–30950 रु.
अनुसूची 'ए' सीपीएसई में 1997 वेतनमान में 'Z' सीपीएसई में सीएमडी का वेतनमान	27750–750–31500 रु.
01.01.2007 की स्थिति के अनुसार 1997 वेतनमान में निदेशक 'X' का मूल वेतन	30300 रु.
01.01.2007 की स्थिति के अनुसार 1997 वेतनमान में सीएमडी का मूल वेतन	31500 रु.
बंचिंग का लाभ दिए जाने के बाद 2007 वेतनमान में निर्धारित निदेशक का वेतन (01.01.2007 की स्थिति के अनुसार) (इसके साथ ही उपर्युक्त बिंदु संख्या 14 में दिया गया उदाहरण भी देखें)	81750 रु.
सामान्य मामले में 01.01.2007 की स्थिति के अनुसार 2007 वेतनमान में सीएमडी का वेतन	80000 रु.
01.01.2007 की स्थिति के अनुसार 'Z' सीपीएसई में निदेशक 'X' को ध्यान में रखते हुए स्टेप अप किए गए सीएमडी का वेतन	81750 रु.

(डीपीई का.ज्ञा. 2(34)/12–डीपीई (डब्ल्यूसी)–जीएल–**XX**/12, दिनांक : 14 दिसंबर, 2012)

*****